कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2734 /अलीगढ़/14131/2015/UP–156, दिनांक, लखनऊ, जून 2[illegible] , 2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषयः अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) कि0मी0 चैनेज 9.100 के दायीं पटरी पर ग्राम–हरदुआगंज के खसरा सं0–176 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ आपके कार्यालय का पत्रांक–2878/14–1, दिनांक 29.03.16

महोदय,

आपके कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित विषयक प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा इस कार्यालय को अत्यन्त विलम्ब से दि0 06.06.16 को उपलब्ध कराया गया। अतः यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय अभिलेख/सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1. ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1(9) में गैर वनभूमि का क्षेत्रफल शून्य अंकित किया गया है, जो सम्भव नहीं है।
2. ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1(10) में लीज की अवधि 99 वर्ष अंकित की गयी है, इस अवधि को 30 वर्ष अंकित करें।
3. ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ई–3 की सूचना त्रुटिपूर्ण है, सुसंगत सूचना अंकित करें।
4. मानक शर्तों के प्रमाण–पत्र में 18 के स्थान पर 16 बिन्दु ही अंकित हैं, सुसंगत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
5. एन0पी0वी0 की गणना त्रुटिपूर्ण है, ईको क्लास एवं दर दोनों गलत हैं। अतः ऑनलाइन पार्ट 2 में ईको–क्लास संशोधित करें, एन0पी0वी0 की संशोधित गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
6. क्षतिपूरक वनीकरण की योजना वन ब्लाक में दो गाटे में प्रस्तावित है, जो स्वीकार्य नहीं है। संशोधित वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
7. प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल चिन्हित टोपोशीट में टाइटिल शीर्षक अंकित नहीं है। अंकित करायें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं के निराकरण हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं उपरोक्तानुसार संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
21/6/16

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2734 / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

2– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा। (उ0प्र0)

21/6/16

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।